झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
एकादश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 17.03.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	**श्रीमती सुनिता चौधरी स0वि0स0 डॉ0 लम्बोदर महतो स0वि0स0**	रामगढ़ जिला अन्तर्गत गोला प्रखण्ड स्थित मध्यम सिंचाई परियोजना भैरवा जलाशय बनकर तैयार है। भैरवा जलाशय के नहर का निर्माण का कार्य पूर्ण होने से गोला, दुलमी और चितरपुर प्रखण्ड के 4857 हेक्टेयर खेतों में पानी पहुँचेगा। इससे दर्जनों गाँव के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। सिंचाई के अभाव में किसान साल में मात्र एक ही बरसात में ही खेती करते हैं। विभाग का दावा है कि योजना पूर्ण होने पर 3647 हेक्टेयर भूमि में खरीफ और 1214 हेक्टेयर में भूमि में रबी फसल का पटवन किया जा सकता है। जलाशय के बाई ओर 14.04 किलोमीटर और 13.10 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया जाना है। लेकिन अभी तक नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से भैरवा जलाशय का नहर निर्माण कराने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ।	**जल संसाधन**

01.	02.	03.	04.
02-	श्री अमित कुमार मंडल स0वि0स0	गोड्डा जिला के वसंतराय प्रखंड के ग्राम रनसी में वर्ष 2018 में छट्टु कामती पिता- इनुल कामती समेत अन्य दस परिवारों के घरों में आगजनी में जल कर सब कुछ राख हो गया। उक्त संदर्भ में कई वर्ष बीत जाने के बावजुद उक्त दसों परिवार को कोई भी लाभ आपदा प्रबंधन द्वारा नही दिया गया है। विदित हो कि ये सभी परिवार अत्यंत ही गरीब व असहाय श्रेणी में आते है। आज भी सभी पिड़ीत परिवार बिना घर के जीवन यापण किसी तरह ढंड, धुप एवं वर्षा में गुजर बसर कर रहे है। उक्त संदर्भ में अंचल कार्यालय-वसंतराय के पत्रांक-93/रा0 दिनांक- 15.02.2023 के माध्यम से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गोड्डा को अग्निकाण्ड में हुऐ नुकसान का मुआवजा हेतु पत्र प्रेषित किया है। इसके बावजुद भी अब तक अग्नि पिड़ीत परिवारों को मुआजा अन्य लाभ नहीं दिया गया है। अतएव सदन का ध्यानाकर्षण के माध्यम से कहना है कि अग्नि पिड़ीत परिवार के घरो के साथ ही राज्य में छोटे व्यवसायियों प्रतिष्ठानों में आगजनी से होने वाले नुकसान का मुआवजा देने हेतु सरकार के नियमों में प्रावधान की माँग आपदा प्रबंधन के तरफ से देने हेतु माँग करता हूँ।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन
03-	श्री राजेश कच्छप स0वि0स0 श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी स0वि0स0 श्री उमा शंकर अकेला स0वि0स0	राँची जिला अन्तर्गत कांके प्रखण्डाधीन मौजा दुबलिया के खाता सं0-39 प्लॉट सं0-1911, रकवा 7.04 एकड़ एवं खाता सं0-25, प्लॉट सं0-1989, रकवा 0.048 एकड़ भूमि की खतियानी मालिक आदिवासी दर्ज है। परन्तु फरजी हुकुमनामा के सहारे उद्धृत भूमि की जामाबंदी पंजी II में मिठू राम के नाम से कायम है। अंचल अधिकारी कांके का पत्रांक-739 (II) दिनांक- 8/9/2020 में मिठू राम के नाम से पंजी II में दर्ज हक कायम को संदेहास्पद मानते हुए	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		कहा गया पंजी II के प्रधिकार कॉलम में जमाबंदी कायम होने का आधार/संक्षम पदाधिकारी का आदेश अंकित नहीं है। इससे यही प्रतीत होता है कि फरजी हुकुमनामा के सहारे आदिवासी भूमि का नामान्तरण/हस्तान्तरण कायम गैर आदिवासी के नाम करने का खेल षड्यंत्र के तहत जारी है। अतः मामले की उच्चस्तरीय जाँच कर आदिवासी खतियानी मालिक के साथ न्याय करने तथा हेराफेरी एवं जालसाजी में शामिल दोषियों का दंडित करने की ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	
04-	**श्री आलोक कुमार चौरसिया स0वि0स0 डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता स0वि0स0**	पलामू जिला के चैनपुर प्रखण्ड के नवसृजित प्रखण्ड-रामगढ़ के लमती गाँव एक घंनी आबादी आदिवासी वाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पुल के अभाव में शहर सम्पर्क टूट जाने से रोजगार तथा रोगियों के चिकित्सा उपचार में काफी कठिनाई होती है। तथा समय पर शहर नहीं पहुँच पाने के स्थिति में रोगी रास्ते में ही दम तोड़ देते है। पुल के अभाव में पुरा गाँव विकास के क्षेत्र में अपेक्षित महसूस कर रहा है। अतः सरकार अपेक्षीत प्रखण्ड रामगढ़ के लमती गाँव के घनी आबादी को देखते हुए विशेष परिस्थिति में प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र लमती गाँव के पुल का निर्माण कर शहर मार्ग से जोड़ने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।	**ग्रामीण कार्य**
05-	**श्री अमर कुमार बाऊरी स0वि0स0 श्री मनीष जायसवाल स0वि0स0 श्री केदार हजरा स0वि0स0**	झारखण्ड राज्य में विभिन्न अभियंत्रण विभागों में डिप्लोमाधारी कार्यपालक अभियंताओं की पदोन्नति अधीक्षण अभियंता एवं अन्य उच्च पदों पर दी जा रही है। परन्तु झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं उसकी अनुसंगी कंपनी में डिप्लोमाधारी कार्यपालक अभियंताओं को अधीक्षण अभियंता एवं अन्य उच्च पदों	**ऊर्जा**

01.	02.	03.	04.
		पर पदोन्नति नहीं दी जा रही है। जिससे राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के डिप्लोमाधारी कार्यपालक अभियंता सबसे अधिक प्रभावित हो रहे है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं उसकी अनुसंगी कंपनी में डिप्लोमाधारी कार्यपालक अभियंताओं को अधीक्षण अभियंता एवं अन्य उच्च पदों राज्य सरकार की अन्य इकाइयों के अनुरूप पदोन्नति दी जाय।	

राँची,
दिनांक- 17 मार्च, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2023-1294/वि0 स0, राँची, दिनांक- 16/03/23

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, जल संसाधन विभाग/सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग एवं सचिव, ऊर्जा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.23
(रामअशीष यादव)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2023-1294/वि0 स0, राँची, दिनांक- 16/03/23

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

16.03.23
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

16/03/23